दिनांक 17.09.2024
प्रेस विज्ञप्ति 22/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

<u>जनपद मीरजापुर/थाना कोतवाली कटरा</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 17.09.2024 को थाना कोतवाली कटरा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बसही के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त विकाश घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना कोतवाली कटरा पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली कटरा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–विकाश निवासी भैसहिया टोला थाना कोतवाली कटरा जनपद मीरजापुर।

<u>बरामदगी</u>

1–चोरी की 01 मोटर साइकिल।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद मुरादाबाद/थाना बिलारी

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 17.09.2024 को थाना बिलारी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित अभियुक्त राजीव कुमार को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना बिलारी पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना बिलारी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–राजीव कुमार निवासी मो0बाजार रहमत नगर कस्बा व थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद।

जनपद मेरठ/थाना टीपीनगर

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 01 लाख 54 हजार रूपये नगद**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) बरामद**

दिनांक 16/17.09.2024 को थाना टीपीनगर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मलियाना बंबा के पास बदमाशों की घेराबन्दी की गई तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–भीम घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2–अर्जुन सहित गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 01 लाख 54 हजार रूपये नगद, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 11.09.2024 को थाना टीपीनगर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना टीपीनगर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया लूट की घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त भीम के विरूद्ध थाना टीपीनगर पर हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 09 अभियोग एवं अभियुक्त अर्जुन के विरूद्ध थाना टीपीनगर पर हत्या का प्रयास, लूट आदि के अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना टीपीनगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–भीम निवासी अम्बेडकर विहार मलियाना थाना टीपीनगर जनपद मेरठ।

2–अर्जुन निवासी कृष्णा विहार कॉलोनी थाना टीपीनगर जनपद मेरठ।

बरामदगी

1–लूट के 01 लाख 54 हजार रूपये नगद।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

3–घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना सेक्टर–126

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **धोखाधड़ी के 17 लाख रूपये नगद बरामद**

दिनांक 17.09.2024 को थाना सेक्टर–126 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सेक्टर–37 नोएडा बस स्टैण्ड के पास से 02 अभियुक्तों 1–रोहित 2–राहुल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से धोखाधड़ी के 17 लाख रूपये नगद बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त रोहित कम्पनी में कैश कलेक्शन का कार्य करता था, जो कि अपने भाई राहुल के साथ मिलकर कलेक्शन के 17 लाख रूपये को गबन के उद्देशय से कम्पनी मालिक को षणयन्त्र कर लूट की झूठी सूचना दिया गया, जिसके सम्बन्ध में थाना सेक्टर–126 पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना सेक्टर–126 पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रोहित निवासी प्रीतविहार कॉलोनी रेलवे रोड दादरी कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

2–राहुल निवासी प्रीतविहार कॉलोनी रेलवे रोड दादरी कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी

1–धोखाधड़ी के 17 लाख रूपये नगद।

जनपद बुलन्दशहर/थाना खुर्जा नगर

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 05 मोटर साइकिल**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 17.09.2024 को थाना खुर्जा नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पंचवटी खुर्जा जंक्शन रोड के पास से 04 अभियुक्तों 1–अजय कुमार 2–नरेश कुमार 3–अमन 4–कलीम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 05 मोटर साइकिल, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना खुर्जा नगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अजय कुमार निवासी ग्राम बरौली थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर।

2–नरेश कुमार निवासी ग्राम बरौली थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर।

3–अमन निवासी ग्राम अगवाल थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर।

4–कलीम निवासी ग्राम अगवाल थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी

1–चोरी की 05 मोटर साइकिल।

2–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि।

एएनटीएफ/आपरेशनल यूनिट बरेली

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 27 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 02 किलो 700 ग्राम अवैध अफीम**
- **नगद रूपये, 01 मोबाइल फोन**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 16.09.2024 को एएनटीएफ आपरेशनल यूनिट बरेली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम आलमपुर थाना भमौरा बरेली से अभियुक्त ओमपाल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 27 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 02 किलो 700 ग्राम अवैध अफीम, नगद रूपये, 01 मोबाइल फोन, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना भमौरा जनपद बरेली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–ओमपाल निवासी कस्बा व थाना बिनावर जनपद बदायूँ।

बरामदगी

1–लगभग 27 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 02 किलो 700 ग्राम अवैध अफीम।

2–नगद रूपये, 01 मोबाइल फोन।

3–01 मोटर साइकिल।

- **जनपद बिजनौर/थाना शेरकोट (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 40 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 01 लाख 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बिजनौर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बिजनौर द्वारा थाना शेरकोट पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/323 भादवि व 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त मनोज कुमार को 40 वर्ष के कठोर कारावास व 01 लाख 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद देवरिया/थाना बरहज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 32 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद देवरिया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद देवरिया द्वारा थाना बरहज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 307/354(क)/506 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त मानवेन्द्र उर्फ दीपू को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 32 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद उन्नाव/थाना बारासगवर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 27 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद उन्नाव पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद उन्नाव द्वारा थाना बारासगवर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376/452/504/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त शैलेश को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 27 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

एस0टी0एफ0–जनपद बलिया से वांछित रू0 25,000/– का पुरस्कार घोषित अपराधी गोलू यादव जनपद प्रयागराज से गिरफ्तार।

दिनांक 16–09–2024 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को थाना मनियर, जनपद बलिया में पंजीकृत मु0अ0सं0 262/2023 धारा 60 (1) 72 आबकारी अधि0 व 420, 467, 468, 471 भादवि में वांछित रू0 25,000/– का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गोलू यादव को जनपद प्रयागराज से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

1– गोलू यादव पुत्र राणा प्रताप यादव नि0 उदई छपरा, थाना बैरिया, जनपद बलिया।

गिरफ्तारी का स्थान/दिनांकः–

राजापुर ब्लड बैंक वाली गली, शुक्ला लॉज के पास, थाना क्षेत्र कैण्ट, जनपद प्रयागराज दिनांक 16–09–2024, समय 21.50 बजे।

विगत काफी दिनों से उत्तर प्रदेश के जनपदों में वांछित पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिये जाने की सूचनायें प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न टीमों/इकाईयों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में श्री अवनीश्वर चन्द्र श्रीवास्तव, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ लखनऊ के पर्यवेक्षण में टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

उ0नि0 श्री फैजुद्दीन सिद्दीकी, मु0आ0 रमाशंकर चौधरी, शैलेन्द्र उपाध्याय, सूरज कुमार आरक्षी श्रीकृष्ण गिरि की एक टीम वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपद प्रयागराज में भ्रमणशील थी। जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई मु0अ0सं0 262/2023 थाना मनियर, जनपद बलिया में वांछित रू0 25,000/– का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गोलू यादव ब्लड बैंक वाली गली, शुक्ला लॉज के पास किसी से मिलने आने वाला है, इस सूचना पर एसटीएफ टीम द्वारा उक्त स्थान पर पहॅुचकर वांछित अभियुक्त गोलू यादव को आवश्यक बल प्रयोग कर गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त गोलू यादव ने पूछताछ पर बताया कि उसका एक गिरोह है, यह पंजाब, हरियाणा एवं अन्य राज्यों से अवैध रूप से शराब मंगाकर उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जनपद व बिहार राज्य में सप्लाई कराता है। वर्ष–2023 में अपनी अल्टो कार (फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर) में अवैध शराब

रखकर बिहार राज्य में सप्लाई हेतु ले जा रहा था, उसी वक्त स्थानीय पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। इस बात की इसको भनक लगते ही यह अपनी कार छोड़कर मौके से फरार हो गया। स्थानीय पुलिस द्वारा इसकी कार को अवैध शराब के साथ जब्त कर लिया गया तथा इसके विरूद्ध थाना मनियर, जनपद बलिया में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। इसके गिरफ्तार हेतु जनपद बलिया से रू0 25 हजार का पुरस्कार घोषित होने के उपरान्त यह प्रयागराज में छिपकर रह रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त गोलू यादव को थाना मनियर, जनपद बलिया में पंजीकृत मु0अ0सं0 262/2023 धारा 60 (1) 72 आबकारी अधि0 व 420, 467, 468, 471 भादवि में दाखिल किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।

———————